निबंधन एवं शर्ते
वित्त नियंत्रक (एनएचएम-वित्त)

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
नियंत्रण अधिकारी	उप सचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	वित्त नियंत्रक
पदों की संख्या	एक
तैनाती का स्थान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वांगपूर्ण जन-स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है। एनएचएम के तहत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में सहयोग के लिए तकनीकी सहायता के रूप में पूर्णतया संविदा आधार पर कार्मिकों की आवश्यकता होती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के तहत काम करने वाले वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) कुशलतापूर्वक संसाधनों के प्रबंधन और पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के लक्ष्य के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा, बाहरी लेखापरीक्षा, निधियों का संवितरण और कार्यक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन सहित आयोजना, बजट, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग,आंतरिक नियंत्रण में संलग्न है। मजबूत वित्तीय प्रबंधन निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी कार्यक्रम के बारे में सूचित निर्णयों,फंड रिलीज और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन मे देरी को कम करने में सहायता के लिए एक आधार प्रदान करती है।एफएमजी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सभी कार्यक्रमों को जीएफआर प्रावधानों और डीओई संबंधी शर्तो का पालन करने के बाद समय पर अपनी निधियां प्राप्त हों। एनएचएम के तहत, यह भारत सरकार का प्रयास है कि वह राज्य / केंद्रशासित प्रदेशोंको प्रदान की गई निधियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण करे।राज्यों को राज्य में वित्तीय प्रबंधन समूह स्थापित करने और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक को एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सिपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम तथा एनडीसीपी सहित निधियों के प्रबंधन की निगरानी और निधियों को जारी करने, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, ई-बैंकिंग, उपयोग प्रमाण-पत्रों,क्षेत्र समीक्षा दौरे और उन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई सहित समग्र पीएफएमएस वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करनी होगी।

3. कार्य क्षेत्र

मुख्य जिम्मेदारियां:

(i) आबंटित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वित्तीय विश्लेषक और वित्त सहायकों के दल का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

(ii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निधियों के अंतरण के लिए ई-बैंकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन और आवश्यकतानुसार तैयार किए गए टैली का कार्यान्वयन करना।

(iii) विकास भागीदारों के साथ समन्वय, पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करना।

(iv) ई-बैंकिंग डाटा की मदद से वित्तीय एमआईएस और समानांतर कार्यक्रम प्रबंधन स्थिति तैयार करना और राज्यों की मैनुअल रिपोर्टों से उनका मिलान करना।

(v) वित्तीय जानकारी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मंत्रालय के एचएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(vi) निधियों के आबंटन, निर्मोचन एवं उपयोग आदि के संकलन के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(vii) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षाओं की व्यवस्था करना जिसमें एनडीसीपी, निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, लेखा-परीक्षा तथा भारत सरकार की टिप्पणियों का अनुपालन करना और विकास साझेदारों को समय पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

(viii) सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समवर्ती लेखा-परीक्षओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टों की प्राप्ति और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

(ix) राज्यों, एनआईएचएफडब्ल्यू तथा अन्य संस्थानों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर वित्त एवं लेखा कर्मचारियों का समय-समय पर क्षमता निर्माण करना।

(x) राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तर पर पीएफएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करना जिसमें समय-समय पर पीएफएमएस संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

अन्य जिम्मेदारियां:

(i) एनआरएचएम के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निधि जारी करने हेतु निर्मोचन, व्यय एवं अव्ययित शेष की निगरानी करना।

(ii) एफएमआर, निधियों की स्थिति के विवरण की समय पर प्राप्ति तथा उनके विश्लेषण की निगरानी करना, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एनआरएचएम कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मिलान करना।

(iii) आबंटित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समस्त वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा संबंधी मामलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और उनके बारे में फीडबैक देना।

(iv) समय-समय पर संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, सीएजी एवं डीजीएसीई की लेखापरीक्षाओं आदि के लिए जानकारी/डाटा उपलब्ध कराकर सहयोग देना।

(v) राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरों पर एनएचएम के तहत वित्तीय निष्पादन संकेतकों, तथा वित्तीय एवं लेखाकरण संबंधी प्रक्रियाओं में समन्वय की निगरानी करना।

(vi) वित्तीय प्रबंधन निष्पादन समीक्षा, वित्तीय अध्ययनों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संयुक्त दल के दौरे की व्यवस्था करना और सुधार लाने के लिए सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनकी सिफारिशों की टिप्पणियों और कार्यान्वयन के साथ रिपोर्ट तैयार करना।

(vii) एनएचएम के तहत निधियां जारी करने हेतु लोक वित प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन करना।

(viii) आबंटित राज्यों की वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को प्रारूप/अंतिम टिप्पणियां उपलब्ध कराना और एनपीसीसी के विचार-विमर्श में भाग लेना।

(ix) अखिल भारतीय स्तर पर एनएफएएमएस की निगरानी और कार्यान्वयन करना और पीएफएमएस के साथ उनका एकीकरण करना।

(x) एनएचएम वित्त डैशबोर्ड की निगरानी और कार्यान्वयन करना।

(xi) राज्य कोषागार से एनएचएम के अधीन राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के बैक खातें में निधियों के हस्तांतरण की निगरानी रखना।

4. आउटपुट

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उप-सचिव निदेशक (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

5. अर्हताएं एवं अनुभव

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल संस्था से, अधिमानत: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री के साथ, एमबीए (वित्त)/सीए। कम से कम 6 + वर्ष अनुभव, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में 3-4 वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। किसी सरकारी संस्थान में वित्तीय प्रबंधन प्रचालन अनुसंधान, प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सरकारी लेखाकरण, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा योजना-वार व्यय की रिपोर्टिंग की जानकारी और लेखांकन पैकेज तैयार करना अतिरिक्त अर्हता मानी जाएगी । राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी।

6. आयु:

दिनांक 01 अगस्त, 2020 को आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक होनी चाहिए।

7. यात्रा एवं भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर व्यापक रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत होनी चाहिए। यात्रा के समय परामर्शदाता को भारत सरकार के नियमानुसार रहने/ ठहरने पर हुए व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

8. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में उप-सचिव (एनआरएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. परामर्श सेवा की अवधि

आरंभ में यह अवधि दिनांक 31 मार्च, 2021 तक अथवा 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी। तथापि संतोषजनक कार्य-निष्पादन के शर्ताधीन परामर्श सेवा आगामी एक वर्ष की अवधि तक जारी रहेगी। संतोषजनक ढंग से कार्य-निष्पादन करने पर केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक से संविदा को आगे के लिए नवीकृत किया जाएगा। फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

10. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताएं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, तथा अन्य मनोनीत विशेषज्ञों यदि कोई है, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिमाह 90,000 से 1,50,000/- रु. के बीच के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक के संबंध में, उस प्रयोजन के लिए खुले विज्ञापन के समय विद्यमान स्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाभों को छोड़कर सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन जैसे कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की हकदारी नहीं होगी। परमार्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा। आवेदन के साथ परामर्शदाता का हाल का जीवन-वृत्त (सीवी) और पिछली परामर्श सेवा में प्राप्त भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन करने के लिए:

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **9-Sep-2020** तक nhmfin.recruitment@gmail.com पर **केवल** ई–मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।